



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार-249404
Website: psc.uk.gov.in



(01334) 244143
(01334) 244282
07060002410

विज्ञापन संख्या :: A-2 / DR(AHA) / S-1 / 2023-24

कृषि / उद्यान / पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग') परीक्षा-2023

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	07 अक्टूबर, 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	27 अक्टूबर, 2023 (रात्रि 11 : 59 : 59 बजे तक)

कृषि / उद्यान / पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के अन्तर्गत कुल 645 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 तक विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन परिशिष्ट-1 पर उल्लिखित परीक्षा योजना एवं परिशिष्ट-2 पर उल्लिखित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

3.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा।
5.	<p>ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-12 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।</p>
6.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-01</u> , पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-02</u> , आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-03</u> , न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-04</u> , परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु <u>परिशिष्ट-05</u> , 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु <u>परिशिष्ट-06</u> तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु <u>परिशिष्ट-07</u> का अवलोकन करें। चारा सहायक ग्रुप-2 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष वांछित 03 वर्षीय अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु <u>परिशिष्ट-09</u> का अवलोकन करें।
7.	i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

	<p>ii. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा।</p> <p>iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p> <p>iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>v. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा –शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-9 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।</p> <p>vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई0डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।</p>
8.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
9.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
10.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।
11.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
13.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक- 16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

02. रिक्तियों का विवरण:-

कृषि/उद्यान/पशुपालन विभाग हेतु समेकित (समूह-'ग') परीक्षा-2023 के अन्तर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 645 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। यह भी सूच्य है कि अन्य विभागों के समान पद एवं समान शैक्षिक अर्हता के पदों का भी समावेश किया जा सकता है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

(A) पदनाम – सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 (कृषि विभाग)
पदों की संख्या:-354

पदकोड-001

(i) पदों का विवरण –

क्र० सं०	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व०सं०से० के आश्रित 02 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	अनाथ बच्चों के लिए 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	214	64	07	14 (05-LV/ PB, 05- HH/PD, 04- OA, OL, LC, DW, AAV/A V, TH, HP)	18	10
2.	अनुसूचित जाति	75	22				04
3.	अनुसूचित जनजाति	16	05				01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	26	08				01
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	23	07				01
	कुल योग	354	106	07	14	18	17

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद

दिव्यांगता की उपश्रेणी LV/PB, HH/PD, OA, OL, LC, DW, AAV/AV, TH एवं HP हेतु चिन्हांकित हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रू0 25,500–81,100 वेतन मैट्रिक्स (लेवल-4)
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	स्थायी, अराजपत्रित (समूह-ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि
v	अधिमाननी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो"
vi	आयु सीमा	न्यूनतम आयु सीमा-21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा-43 वर्ष

(B) पदनाम: उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग-3 (उद्यान विभाग)
पदों की संख्या-245

पदकोड-002

(i) पदों का विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व०सं०से० के आश्रित 02 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	130	39	05	10 (03-LV/PB, 03-HH/PD, 02-DW/LC/AAV/AV, 02-OA)	12	07
2.	अनुसूचित जाति	47	14				02
3.	अनुसूचित जनजाति	10	03				01
4.	अन्य पिछडा वर्ग	34	10				02
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	24	07				01
	कुल योग	245	73	05	10	12	13

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW, एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं।

तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रू0 25500—81100 वेतन लेवल—4
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान)/बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 (उद्यान)
v	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो
vi	आयु सीमा	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

(C) पदनाम: उद्यान निरीक्षक वर्ग—2 (उद्यान विभाग)

पदकोड—003

पदों की संख्या—27

(i) पदों का विवरण —

क्र० सं०	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व०सं०से० के आश्रित 02 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	14	04	01	01 (01-LV/PB)	01	01
2.	अनुसूचित जाति	05	02				—
3.	अनुसूचित जनजाति	01	—				—
4.	अन्य पिछडा वर्ग	04	01				—
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	01				—
	कुल योग	27	08	01	01	01	01

नोट:— उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या—48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक—05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रू0 29200—92300 वेतन लेवल—5
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान)/बी0एस0सी0 (कृषि)
v	अधिमाननी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने (एक) कार्य की अपेक्षा के अनुरूप उद्यान विज्ञान में एम0एस0सी0 (कृषि) या एम0एस0सी0 (वनस्पति शास्त्र) या कीट विज्ञान, विकृति विज्ञान में एम0एस0सी0 (कृषि) उत्तीर्ण किया हो। (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो
vi	आयु	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

(D) पदनाम: सहायक मशरूम विकास अधिकारी, वर्ग-2 (उद्यान विभाग)
पदों की संख्या-03 पदकोड-004

(i) पदों का विवरण -

क्र0 सं0	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व0सं0से0 के आश्रित 02 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	02	01				—
2.	अनुसूचित जाति	01	—				—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—				—
4.	अन्य पिछडा वर्ग	—	—	—	—	—	—
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—				—
	कुल योग	03	01	—	—	—	—

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रू0 29200–92300, वेतन लेवल–5
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान समूह) या बी0एस0सी0 (कृषि)
v	अधिमानी अर्हता	(क) एम0एस0सी0 (उद्यान विज्ञान) या एम0एस0सी0 (सब्जी विज्ञान) (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो या (दो) एन0सी0सी0 का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र
vi	आयु	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

(E) पदनाम: सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-2 (वनस्पति विज्ञान) (उद्यान विभाग)
पदों की संख्या-03 पदकोड-005

(i) पदों का विवरण –

क्र0 सं0	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व0सं0से0 के आश्रित 02 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	01	02	03	04	05	06	07
1.	अनारक्षित	02	01				—
2.	अनुसूचित जाति	—	—				—
3.	अनुसूचित जनजाति	01	—				—
4.	अन्य पिछडा वर्ग	—	—				—
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—				—
	कुल योग	03	01	—	—	—	—

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रू0 29200–92300, वेतन लेवल–5
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान समूह) या बी0एस0सी0 (कृषि)

v	अधिमानी अर्हता	(क) एम0एस0सी0 (उद्यान विज्ञान) या एम0एस0सी0 (सब्जी विज्ञान) (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो, या (दो) एन0सी0सी0 का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र
vi	आयु	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

(F) पदनाम: सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-2 (उद्यान विज्ञान), (उद्यान विभाग)
पदों की संख्या-03 पदकोड-006

(i) पदों का विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व०सं०से० के आश्रित 02 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	01	—	—	—	—	—
2.	अनुसूचित जाति	01	—	—	—	—	—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	—
4.	अन्य पिछडा वर्ग	01	—	—	—	—	—
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	03	—	—	—	—	—

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रू० 29200-92300, वेतन लेवल-5
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बी०एस०सी० (कृषि) या बी०एस०सी० (जीव विज्ञान समूह)
v	अधिमानी अर्हता	(क) एम०एस०सी० (उद्यान विज्ञान) (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो या (दो) एन०सी०सी० का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र
vi	आयु	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

(G) पदनाम: सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी, वर्ग-2 (उद्यान विभाग) पदकोड-007
पदों की संख्या-02

(i) पदों का विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व०सं०से० के आश्रित 02 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	—	—	—	—	—	—
2.	अनुसूचित जाति	01	—	—	—	—	—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	—
4.	अन्य पिछडा वर्ग	01	—	—	—	—	—
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	02	—	—	—	—	—

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रु० 29200-92300, वेतन लेवल-5
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी०एस०सी० (जीव विज्ञान समूह) या बी०एस०सी० (कृषि)
v	अधिमानि अर्हता	(क) कीट विज्ञान में विशेष पत्र के साथ जीव विज्ञान में एम०एस०सी० या कीट विज्ञान में एम०एस०सी०(कृषि) (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो (दो) एन०सी०सी० का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र
vi	आयु	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

(H) पदनाम: चारा सहायक, ग्रुप-2 (पशुपालन विभाग)

पदकोड-008

पदों की संख्या-03

(i) पदों का विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व०सं०से० के आश्रित 02 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	02	—	—	—	—	—
2.	अनुसूचित जाति	01	—	—	—	—	—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	—
4.	अन्य पिछडा वर्ग	—	—	—	—	—	—
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	03	—	—	—	—	—

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रू० 29200-92300, वेतन लेवल-5
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	(एक) एम०एस०सी० (कृषि) या (दो) फार्म प्रबन्धन में 03 वर्ष के अनुभव के साथ बी०एस०सी० (कृषि)
v	अधिमानी अर्हता	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। (दो) सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान अवश्य होना चाहिए
vi	आयु	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

(I) पदनाम: चारा सहायक, ग्रुप-3 (पशुपालन विभाग)

पदकोड-009

पदों की संख्या-05

(i) पदों का विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्व०सं०से० के आश्रित 02 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत	दिव्यांग 04 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अनारक्षित	03	01				—
2.	अनुसूचित जाति	01	—				—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—				—
4.	अन्य पिछडा वर्ग	—	—				—
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	—				—
	कुल योग	05	01	—	—	—	—

नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, LV/PB, HH/PD, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ii	वेतनमान	रु० 25500-81100, वेतन लेवल-4
iii	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	अराजपत्रित, स्थायी, समूह 'ग', अंशदायी पेंशन योजना
iv	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	(एक) बी०एस०सी० (कृषि)
v	अधिमानी अर्हता	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। (दो) सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान अवश्य होना चाहिए
vi	आयु	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 43 वर्ष

03. आयु गणना की निश्चायक तिथि :-

कृषि/पशुपालन/उद्यान विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के अन्तर्गत रिक्त कुल 645 पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०- 191/XXX(2)/2021-30(10)2019 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा

में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 को अभ्यर्थी की आयु उपरोक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए।

उक्त पदों हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 38/उ0अ0से0च0आ0/2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई, 2021 है।

नोट—उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 38/उ0अ0से0च0आ0/2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा, जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन की रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पूर्व विज्ञापन सं0-38, दिनांक 01.10.2021 के क्रम में किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

04. अधिकतम आयु सीमा में छूट:—

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या— 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं0-406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0-124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a

higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.”

05. आरक्षण :-

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-3” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

i. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना संख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के “O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षेत्रीय आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं0-38(1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित “ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह-ग की उन

सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबंधी छूट प्रदान की जायेगी।

ii. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

iii. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

iv. अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्यधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

v. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्रांक- 415/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

vi. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम./ तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता :-

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है:- शासन की अधिसूचना

संख्या-164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक-809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता

नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।”

नोट— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के प्रस्तर—i, ii एवं iii में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

07. राष्ट्रीयता :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, लंका अथवा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी:— जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो, न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

08. चरित्र :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा की सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रास्थिति—

ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. शारीरिक स्वस्थता—

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हों, और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हों जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड-2 भाग-3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 (अधिनियम संख्या-49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा-33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा-34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात् ukpsc.net.in पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात् **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वांछित, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के

Icon पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।

6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर वापस जाकर सही किया जा सकता है। वांछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0(OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

12. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया-

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

13. शुल्क :- शासनादेश संख्या 65880/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022, एवं शासनादेश संख्या 70793/2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

14. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :-

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/ नियमावलियों/ मैनुअल्स/ मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) विज्ञापित पदों हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित परीक्षा योजना के अनुसार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type with Multiple Choice) आयोजित की जायेगी। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpine@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(06) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा- शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार **अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा।** अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

(08) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्डस्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(09) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं

किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(11) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(12) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(13) परीक्षा केन्द्र में आचरण— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(14) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(15) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(17) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबंधिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(18) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(21) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित

साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(22) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(23) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(24) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(25) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(26) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपदों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

(27) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-sd-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-1

कृषि/उद्यान विभाग/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग') परीक्षा-2023 हेतु परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र० सं०	प्रश्नपत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	प्रश्नपत्र-I	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी (विषय कोड-91)	100	100	02 घण्टे
2	प्रश्नपत्र-II	वैकल्पिक विषय 1. कृषि (विषय कोड-92) 2. जीव विज्ञान (विषय कोड-93) 3. उद्यान (विषय कोड-94)	200	200	03 घण्टे
कुल अंक			300 अंक		

नोट:-1. प्रश्नपत्र-1 सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है।

2. अभ्यर्थी प्रश्नपत्र-2 में दिये गये विषयों यथा कृषि, जीवविज्ञान एवं उद्यान में से धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं।

3. उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट-02

कृषि/उद्यान विभाग/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग')

परीक्षा-2023 हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-I

विषय :: सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

(सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य)

प्रश्नों की संख्या: 100

अधिकतम अंक: 100

समयावधि: 2 घण्टे

सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन

प्रश्न की संख्या-80

अधिकतम अंक-80

- 1 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी : सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।
- 2 भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।
- 3 भारतीय राज्य व्यवस्था : भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।
- 4 भारत का भूगोल एवं जनांकिकी : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।
- 5 सम-सामयिक घटनाएं : इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।
- 6 उत्तराखण्ड का इतिहास : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।
- 7 उत्तराखण्ड की संस्कृति : जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र,

खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।

- 8 उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी: भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।
- 9 उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन— प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।
- 10 सामान्य बुद्धि परीक्षण :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

General Knowledge, General Studies

No of Questions : 80

MM: 80

- 1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation.
- 2 **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India's freedom movement.
- 3 **Indian polity:** Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj.
- 4 **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India.
- 5 **Current Events:** Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National.
- 6 **History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India.

- 7 **Culture of Uttarakhand:** Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments
- 8 **Geography and Demography of Uttarakhand:** Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.
- 9 **Economic and natural resources :** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utilization of resources. Various schemes being implemented in Uttarakhand for the eradication of poverty and unemployment.
- 10 **General intelligence test ::** In General Mental Ability, questions will includes test comprehension, reasoning and numerical ability.

सामान्य हिन्दी

प्रश्नों की संख्या: 20

अधिकतम अंक: 20

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम—व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

प्रश्नपत्र-II

वैकल्पिक विषय

(अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार दिये गये निम्न विषयों यथा कृषि, जीवविज्ञान एवं उद्यान में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं)

प्रश्नों की संख्या: 200

अधिकतम अंक: 200

समयावधि: 3 घण्टे

1. Agriculture

UNIT-1

Definition and scope of Agronomy, Classification of field Crops, general principles of Crop production: Climate, soil, soil preparation, seed and sowing, tillage, water management, nutrient management, plant protection management, harvesting, threshing and storage, mixed and inter-cropping, manure and fertilizers, cultivation of common crops -Cereal Crops: Wheat, Barley, Oat: oilseed Crops: Rapeseed and mustard, Linseed, Sunflower; Pulse crops: Chick pea, field pea, Lentil, Rajmah, Fodder Crops: Oat, Berseem, Lucerne; Cash Crops: Potato, sugarcane, recommended varieties, seed rate, time and method of sowing, irrigation, manure and fertilizer, weed controls, insect-pests and diseases, harvesting, processing and yield. Soils- origin and classification loam, silt, clay, sandy loam, physical and chemical properties of soil. Use of fertilizers, essential nutrients- nitrogen, phosphorus and potassium, organic and inorganic fertilizers and their effects on crops and soil, FYM and green manuring, water requirement of crops, measurement of water discharge, prevention of loss of water, different methods of irrigation - flooding, basin method, border /strip method, sprinkler and drip irrigation. Disadvantage of excess moisture, prevention of formation of acidic and alkaline soils and their management.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-II

Study of horticultural crops including recommended varieties and their main features, suitability for different regions, time and method of sowing, manure and fertilizer, irrigation, diseases and pests and their control. major vegetables like Potato, Brinjal, chillies, tomato, Cauliflower, Cabbage, knol khol, Onion, Watermelon, Okra, Radish, Carrot and Pea, cucurbits, bittergourd, bottlegourd, muskmelon, ridge gourd, root crops-carrot, radish sweet potato, turnip, fruits vegetables-tomato, brinjal, botanical Classification of vegetables and fruits, pruning and training of fruit plants, Unfruitfulness, Fruit drop, Polyembryony, Parthenocarpy and incompatibility. Practices involved in the production of fruits:

Mango, Guava, Kagzi lime, Banana, Grape, Litchi, Papaya, Loquat, Aonla, Ber, Jack Fruit, Apple, Pear and Peach, Production techniques of plantation crops: Coconut, Cashew nut, Tea Coffee and coca.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-III

Type of iron and steel, wood, plastic and tin used in agricultural implements and their forms & properties. Study of different types of ploughs- indigenous, chisel, rotary and disc plough. their management & cost, selection of prime movers, water lifting devices; discharge, command area, cost of different system; soil preparation, methods of ploughing, need for tillage, kinds of tillage, mechanical Power transmission through belts, pulleys and gears, EC engine and its components. Classification of tractors, Elementary knowledge about main components of tractor and their functions such as steering, clutches, transmission gears, differential and final drive, Introductory agricultural economics-meaning and scope, Production-meaning, factors of production such as land, labour, capital and management, properties of factor of production; law of returns; intensive and extensive agriculture, law of demand, relative prices and standard of living; Cooperation-meaning, principles of cooperation, land development banks. Agriculture- place in Five Year Plans; Extension Education, Extension Teaching and Learning. Extension and Rural Development Programmes: Including T and V system, National Demonstration, IRDP, Jawahar Rojgar Yozana.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-IV

Study of major breeds of cow, buffalo, goat, sheep, poultry and Pig; Physiology and anatomy of cow and buffalo; characteristics of good milch cow and buffalo, bulls and bullocks. Care and management of pregnant cow, poultry management. Principles of feeding of various classes of livestock and poultry. Clean milk production and maintenance of hygiene. Common medicines and vaccines used in treatment/prevention and control of animal diseases; handling of animals for treatment; castration. Operation flood, Milk and Milk products, Identification of Adult rated milk. Importance of farm's livestock and poultry in agriculture and Indian economy, Pathogenic disease and vaccination. The antigens, antibiotics, antiseptics, disinfectants, The milk and its synthesis in mammary glands. Composition of milk of different species and colostrum. Details composition and physio-chemical properties of cow and buffalo's milk. Factors affecting quantity and chemical composition of milk. Chemistry of milk constituents viz. lactose, fat,

protein, enzymes and vitamins. preservatives and adulterants of milk. Chemical changes occurring during storage of milk. Classification of common feeds and fodders, low-cost balanced feeds. Evaluation of energy and protein value of feed. Processing methods of animal feed stuffs. Processing of milk for filtration, clarification, bactofugation, standardization, homogenization, cream separation-centrifugation. Indigenous milk products- paneer, chhana, ghee, khoa, dahi. Other milk products- cream, butter, ice-cream, condensed milk, milk powder, cheese, dairy by products.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-V

Mendel's Law's of heredity, Chromosomal theory of inheritance, meiosis and mitosis, Linkage and crossing over-types, mechanism and significance, Nucleic acid as genetic material- structure, replication, genetic code and translation, Mutation-spontaneous and induced, Sex chromosomes and its determination in man and drosophila, sex linked characters. Mean as measures of central tendency-Mean, Median, Mode, Geometric Mean, Harmonic Mean, Weighted Range, Quartile Deviation, Variance, Standard Deviation and Coefficient of variation. Chemistry of Carbohydrates- Glucose, fructose, Galactose, Sucrose, Lactose, Maltose, Starch, Cellulose. Ammo acids, Lipids and fatty acids. Vitamin A, D, E, K, Thiamine, Riboflavin and Nicotinic acid, Plant growth substances, photoperiodism and vernalization, Insect Anatomy: Digestive, Excretory, Reproductive, Circulatory, Respiratory and Nervous systems of grasshopper, General introduction to Phylum Arthropoda, class Insecta, Mode of reproduction in crop plants in relation to breeding techniques. Genetic consequences of self and cross pollinated crops, Plant Introduction and exploration, Breeding self pollinated crops, population's improvement, Mass selection, recurrent selection. Breeding cross pollinated crops mass selection, pedigree, bulk and back cross methods. Classification of plant diseases according to cause and occurrence. Plant Pathogens: Fungi (Albugo. Erysiphe, Ustilago, Claviceps and Puccinia. Diagnositic characters of the following genera: Phytophthora, Peronospora, Sclerospora, Ustilago, Sphacelotheca, Tolyposporium, Melampsora, Alternaria, Cercospora, Fusarium, Helminthosporium, pyricularia, Rhizoctonia and Colletotrichum Preliminary knowledge of hazards related to pesticide use, MRL, ADI, Mammalian Safety Ratio Basic concept of Integrated Pest Management.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

2. Biology

(i) BOTANY

UNIT 1-CYTOLOGY

Prokaryote and Eukaryote cell, Cell Cycle, Mitosis and Meiosis, structure and function of all cytoplasmic organelles, nucleus, chromosomes, Lampbrush and Polytene chromosomes, DNA structure and replication, RNA structure and type, Modern concept of genes.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT II- MICROBIOLOGY

Viruses- Structure, transmission, multiplication, bacteriophages and economics importance.

Bacteria Structure, Classification, Gram Negative and Gram Positive Bacteria, Staining techniques, Vegetative, Asexual and Sexual reproduction, Genetic recombination and economic importance of Bacteria.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT III-FUNGI AND PLANT PATHOLOGY

Salient features of fungi. Broad classification of Fungi (Alexopoulos) upto class Level, nutrition of Fungi. Reproduction in Fungi- asexual reproduction, sexual reproduction. Heterothallism, heterokaryosis and parasexual cycle, Economic Importance of Fungi, Life history of *Mucor*. Penicillium, Yeast, Puccinia, Agaricus, Morchella, Alternaria. An introduction to Mushroom cultivation

Pathology of fungal plant diseases- A brief idea about diseases symptom. Establishment of diseases, categories of plant diseases on the basis of their occurrence. Control of plant diseases- brief idea about exclusion, eradication, protection by fungicides and by developing resistance.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT IV- ALGAE, LICHENS AND BRYOPHYTA

Algae-Introduction and salient features, Classification of algae upto class Level, range of vegetative structure, cell structure of prokaryotic and eukaryotic Algae. Reproduction, types of Life cycles (Haplontic, Diplontic, Diplohaplontic,

Haplobiontic and Diplobiontic) and Alternation of generations in Algae, ecology of algae, Life cycle of Nostoc, Chlamydomonas, Oedogonium, Vaucheria, Ectocarpus. Polysiphonia, Diatoms, Economic importance of Algae.

Lichens- Characteristics, General Structure, Symbiotic relationship, reproduction and economic importance.

Bryophyta- Salient features of Bryophytes, Habitats, Distribution and economic importance of Bryophyta, Classification of Bryophyta, a brief account of Alternation of generations, Life history of Marchantia, Anthoceros and Funaria.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-V PTERIDOPHYTA AND GYMNOSPERMS

Pteridophyta - Salient features of Pteridophytes, Habitats, Distribution, Classification and Economic importance of Pteridophytes, Alternation of generation in pteridophytes, Telome Theory, steler system, Apogamy, Agamospory, Apospory, Heterospory and seed habit, Life History of Rhynia, Selaginella, Equisetum, Pteris

Gymnosperms- General Charactersitics, classification (upto family Level) of Gymnosperms, Ecological and economic importance of gymnosperms. morphology, Anatomy and reproduction of **Cycas**, Pinus and Ephedra, Types of Fossils and their types, process of fossilization, living fossils.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT VI-TAXONOMY OF ANGIOSPERMS

A general account of origin and evolution of angiosperms, Basic principles and broad outline of the classification proposed by Bentham Hooker and Hutchinsion. International code of Botanical nomenclature, Botanical gardens and herbaria, Botanical Survey of India.

Distinguishing features and economic importance of the families- Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Rutaceae, Fabaceae, Rosaceae, Cucurbitaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Solanaceae. Acanthaceae, Lamiaceae, Apocynaceae, Euphorbiaceae, Polygonaceae, Orchidaceae, Liliaceae, Poaceae

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT VII- ANATOMY

Meristems- Characteristics and functions, Primary and secondary meristems, Apical cell theory, Histozen theory, Tunica carpus theory, Tissue and Tissue System in Plants.

A brief account of root, shoot and leaf anatomy, Root-stem transition. Secondary growth in Root and Stem, Annual ring, sapwood, heartwood, periderm and anomalous secondary growth in Dicot, Monocot stem and roots.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT VIII-PLANT PHYSIOLOGY

Diffusion, Osmosis, Plasmolysis and Imbibition. Absorption of water (Active and Passive Absorption), Factor effecting of water absorption, Mineral Nutrition, Macro and Micro Nutrients, Plant Ash, Mineral deficiency symptoms, Theories of Mineral Absorption.

Transpiration, Theories of Transpiration, Structure of stomata, opening and closing of stomata, factors effecting and significance of transpiration. Translocation of Solutes, Theories of translocation of food, Mechanism of phloem transport and factor effecting translocation.

Respiration (Aerobic and Anaerobic), glycolysis, Krebs Cycle, ETS, Redox potential, pentose phosphate pathway, ATP. Oxidative phosphorylation, factors effecting the rate of respiration.

Photosynthesis-Historical background, Concept of photo system I and II, Z-scheme, Structure of Chloroplast, Pigments, Photophosphorylation, Calvin cycle, Hatch-slack cycle, CAM Plants. Factor effecting the rate of Photosynthesis.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT IX- EMBRYOLOGY AND MORPHOGENESIS

Structure of Anther, Ovule, Types of Ovule, Micro and Megasporogenesis and development of Male and Female gametophyte respectively, Pollination, Fertilization, Endosperm, Development of Embryo, polyembryony, apomixis.

General concept of Morphogenesis, seed germination and dormancy, Plant movements, Plant growth regulators, Photoperiodism and vernalization.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT X-ECOLOGY

Definition and scope of ecology and its relationships, The environment and its factors, Primary and Secondary productivity biosphere (Hydrosphere, Lithosphere and stratosphere)

Concept of ecosystem, Types of ecosystem, Biotic and Abiotic components, energy flow, Trophic level, Food Chains, Food web, Ecological Pyramids, Community (Characters, Life forms and Biological spectrum) Ecological Succession.

Biogeochemical cycles (Carbon, Nitrogen and Phosphorous cycle). Biogeographical regions of India, Vegetation types of India, Population (Characters, Biotic potential, density, Natality, Mortality, Growth curve, eco types and ecads). Pollution (Air, Water, Soil, Noise and radioactive)

Introduction of Toxicology, Principles and History of environmental toxicology, Types and Source of Toxic Agents.

Concept of Biodiversity, Conservation and management, Concept of Protected areas, Ex-situ and In-situ conservation, India's Wild life habitats, Distribution, conservation status and efforts.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT XI-ECONOMIC BOTANY

Cereals and Millets, Food Plants (Potato, Sweet-Potato, Sugarcane), Fruits (Mango, Apple, Banana, Citrus, Litchi), Fibres (Cotton, Hemp and Coir), Vegetables (Root, Stem, Leaf and Fruit Vegetables), Timbers (Teek, Saal, Chir, Deodar, Shisham and Oak), Medicinal Plants related with Uttarakhand, Oils (Linseed, Mustard and Groundnut Oil).

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT XII- GENETICS

Mendel's experiments, Mendelian Law's, Abberations of mendelian Law's, Sex Determination, Sex Linked inheritance, Cytoplasmic inheritance, Linkage and Crossing Over, Mutations, Genetic code, Protein Synthesis, Gene expression, Gene Bank, Nif and Nod genes, C-DNA and Gene Library.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT XIII-PLANT BREEDING

Aims and Objectives of Plant breeding, Basic techniques used in Plant breeding, Selection, Plant introduction, Acclimatization, Hybridization, Hybrid Vigour, Mutational breeding.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics

(ii) ZOOLOGY

UNIT I. ORIGIN OF LIFE AND EVOLUTION: Theories of origin of life and organic evolution. (Modern synthetic theory of evolution). Fossils and fossilization. Evolution of life through ages (Geological time scale). Evolution of man. Speciation Hardy- Weinberg equilibrium, Genetic drift. Gene pool.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics

UNIT II. DIVERSITY OF LIVING ORGANISMS: Kingdom system of classification. Protostomia and Deuterostomia. Acoelomara and Coelomat, Major groups of Non-Chordata and Chordata and their classification up to classes. Taxonomy and systematics. Rules of Nomenclature. Linnean hierarchy. Biological concept of species and types of species

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics

UNIT III. ANIMAL TISSUE SYSTEMS: Epithelial tissue, connective tissue (Fluid tissue, muscles, bone and cartilage), Nervous tissue.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT IV. PROTOZOA TO ECHINODERMATA:

Nutrition, locomotion and reproduction in Protozoa.

Canal system and skeleton in Porifera.

Nematocysts, polymorphism, Corals and coral reefs and metagenesis in Coelenterata.

Metamerism, nephridial system and locomotory organs in Annelida.

Significance of Peripatus.

Types of mouth parts, Tracheal system and metamorphosis in Insecta. Booklungs. Larval forms in Crustacea.

Torsion and Detorsion in Gastropoda. Foot and gills in Mollusca.

Water-vascular system (Asterias) and larval forms in Echinodermata.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT V. COMPARATIVE ANATOMY OF CHORDATA:

Endostyle and protonephridia in Protochordata. Affinities of Hemichordata,

Organs of neural complex and tadpole larva in Herdmania. wheel organ in Branchiostoma.

Differences between Petromyzon and Myxine.

Scales, types of tail in fishes. Lung fishes. Latimeria. Electric organs in fishes.

Limbless Amphibia. Neoteny in Amphibia.

Chelonia, Rhynchocephalia, Crocodilia and Dinosaurs. Distinction between poisonous and non-poisonous snakes. Biting mechanism in snakes. Venom and anti-venom

Structure of a typical feather Types of feather. Flightless birds. Aerial adaptations in birds.

Prototheria, Metatheria. Flying mammals Cetacea and Sirenia. Dentition in Mammals. Eye and ear of mammals.

General comparative anatomy of vertebrates: Integument. Gills of Cyclostomata and Pisces, Air bladder Lungs and air-sacs, Alimentary canal, liver and pancreas. Types of hearts. Types of Kidneys. Cranial nerves and spinal cord.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT VI. BIOCHEMISTRY: Balanced Diet, Nutrient substances (Structure and classification of Protein, Carbohydrates and Lipids), Nutrient elements Vitamins Enzymes and Enzyme action. Metabolism of Proteins, Carbohydrates and Lipids.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT VII. PHYSIOLOGY: Homeostasis. Intra-cellular and Extra-cellular digestion. Digestion and absorption of Protein. Carbohydrates and Lipids. Respiratory pigments and physiology of respiration. Hemopoiesis, composition of blood, blood groups and blood coagulation. Cardiac Cycle. Nitrogenous excretion. urine formation in mammals Mechanism of muscle contraction. Conduction and

transmission of nerve impulse. Endocrine system and mechanism of hormone action with special reference to Thyroid, Parathyroid, Pituitary and Adrenal glands; Gonads and Gastro-intestinal tract Bioluminescence.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics

UNIT VIII. DEVELOPMENTAL BIOLOGY: Gametes and gametogenesis. Mechanism of fertilization. Types of eggs. Patterns of cleavage. Embryonic induction and primary organizer. Fate maps. Blastulation and types of blastula. Gastrulation (frog and chick.). Foetal membranes of chick Placentation in mammals. Regeneration. Parthenogenesis.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT IX. ANIMAL BEHAVIOUR (ETHOLOGY): Stereotyped and innate patterns of behaviour. Innate releasing mechanism (IRM). Taxes, kinesis and reflexes, Fixed and modifiable action patterns Learned behaviour. Imprinting. Migration in fishes and birds. Parental care in Amphibia and Pisces. Biological clock

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT X. ECONOMIC ZOOLOGY: Beneficial and harmful protozoa. Life-cycles and pathogenesis of *Entamoeba histolytica*, *Trypanosoma gambiense*. *Plasmodium vivax*, *Fasciola hepatica*, *Taenia solium*, *Ascaris lumbricoides* and *Encyclostoma deudenale*. Life-cycles and pathogenesis of Mosquito spp. (*Anopheles*, *Culex* and *Aedes*), House-fly: health and hygiene. Sponge industry, vermiculture. Insects pests of crops, fruits and vegetables. Integrated pest management (IPM). Sericulture Apiculture. Lac-culture. Pearl industry. Aquaculture and Pisciculture. Animal husbandry and Dairy technology. Poultry and piggery

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT XI. BIostatistics: Statistics and Biological researches. Data. Types of data, data collection, classification and presentation (tabulation and graphics etc.). Measures of central tendency-mean, mode, median. Measures of Dispersion-Range, Standard deviation and standard error. Coefficient of correlation. Tests of Significance- Chi-square and T-test.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT XII. MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY: Genetic material of prokaryotes and eukaryotes. Types of DNA and RNA. DNA replication. Genetic code. Central dogma of protein synthesis. DNA Fingerprinting and PCR technology,

Biotechnology- a double edged sword. Gene cloning, Gene transfer technology. Gene bank and cryopreservation. Transgenesis. Genetically modified animals and plants. Totipotency. Tissue culture. Biopesticides. Biofertilizers. Single cell protein (SCP) and their importance.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT XIII. BIOINFORMATICS: Basic knowledge of computer and its components. Input and output devices RAM and ROM. Software and Hardware.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

3.Horticulture

UNIT-I

Agricultural and horticultural zones, Classification and distribution of field crops, multiple cropping, mixed cropping, intercropping, relay and alley cropping, cultural practices for major field crops cereals, pulses, oil seeds and fodder crops; Green manuring: Crop rotation; Physical and chemical properties of soil, soil classification: Manure and fertilizers; Different methods of irrigation; Weed Management;

Measures of central tendency: mean, mode, median, geometric mean, harmonic mean, percentiles and quartile for raw and grouped data, dispersion: range, standard deviation, variance, coefficient of variation for raw and grouped data, correlation: scatter diagram, correlation coefficient and its properties, regression: Water relations in plants, study of stomata, guttation, transpiration, mechanism of stress tolerance, photosynthesis, photorespiration, respiration, phytohormones, physiological role in controlling plant process, unfruitfulness, physiology of training and pruning; Importance of microbes in horticulture.

Classifications of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals; Mendelian genetics-Mendel's principles of heredity, Chromosome theory of inheritance, gene interaction, cytoplasmic inheritance and maternal effects, chemical basis of heredity, structure and component of nucleic acids, replication, transcription and translation, physical basis of heredity, cell reproduction, mitosis, meiosis and its significance, gametogenesis and syngamy in plants, mutations.

Orchard Management system; Organic Farming Introductory economics-meaning and scope, factors of production, law of returns and law of demand; Extension and rural development programmes in India, Agroforestry system, subsystem and practice: agri-silviculture, silvipastoral, horti-silviculture. hortisilvipastoral, shifting cultivation, teungya, home gardens, alley cropping, intercropping, wind breaks, shelterbelts and energy plantations; Mushroom Cultivation; Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-II

Fruit Crops: Horticultural classification of fruits including genome classification, importance of fruit crops in nutrition and national economy, detailed study of area, production and export potential, varieties, climate and soil requirements, propagation techniques, planting density and systems, after care, training and pruning, water, nutrient and weeds management, use of plant growth regulators, physiological disorders, important insect-pests and diseases and their control measures, post-harvest technology. harvest indices, harvesting methods, grading, packaging and storage of the following crops viz, mango, banana, bael, grapes, citrus, papaya, sapota, guava, pineapple, jackfruit, avocado, Pomegranate, fig. litchi, ber, aonla, annona, jamun, carissa, date palm, phalsa, apple, pear, peach, apricot, cherry, strawberry. kiwi, almond, walnut, pecan nut, hazel nut and chestnut.

Vegetable Crops: Horticultural classification of vegetables including genome classification, importance of cool season vegetable crops in nutrition and national economy, detailed study of area, production and export potential, varieties, climate and soil requirements, seed rate, preparation of field, nursery practices; transplanting of vegetable crops and planting for directly sown/transplanted vegetable crops, spacing, planting systems, water and weed management, nutrient management and deficiencies, use of chemicals and growth regulators, cropping systems, harvest, yield and seed production, important insect -pests and diseases and their control measures, post-harvest technology, harvest indices, harvesting methods, grading, packaging, storage and marketing of temperate, tropical and subtropical vegetable crops viz cabbage, cauliflower, knol-khol, broccoli, Brussels sprout, lettuce, palak, Chinese cabbage, spinach, fenugreek, garlic, onion, leek, radish, carrot, turnip, beet root, peas, French bean, broad beans, rhubarb, asparagus, globe artichoke, tomato, brinjal, chillies, okra, amaranthus, cluster beans, cowpea, lab-lab, snap bean, cucurbits, moringa, curry

leaf, potato, tapioca, sweet potato, arrow root, cassava, colocasia, xanthosoma, amorphophallus, dioscorea, jerusalem artichoke, horse radish.

Plantation Crops: History and development, scope and importance, area and production, export and import potential, role in national and state economy, uses, industrial importance, by products utilization, soil and climate, varieties, propagation: principles and practices of seed, vegetative and micro- propagation, planting systems and method, gap filling, systems of cultivation, mulching, shade regulation, weed and water management, training, pruning and handling, nutrition, foliar feeding, role of growth regulators, soil management, liming practices, tipping practices, top working, physiological disorders, important insect-pests and diseases and their control measures, harvesting, post-harvest handling and processing, packaging and marketing, yield and economics of coconut, arecanut, oil palm, palmyrah palm, cacao, cashew nut, coffee, tea and rubber.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-III

Medicinal and Aromatic Crops: History, scope, importance, origin, distribution, production, climatic and soil requirements, propagation and nursery techniques, planting and aftercare, training and pruning, nutrient and water management, plant protection, harvesting, processing, therapeutic and pharmaceutical uses and economics of medicinal and aromatic plants viz. pepper, cardamom, clove, ginger, turmeric, betelvine, periwinkle, rauwolfia, dioscorea, isabgol, Ammi majus, belladonna, cinchona, pyrethrum, citronella grass, khus grass, sweet flag (bach), lavender, geranium, patchouli, bursera, mentha, muskdana (musk mallow) and ocimum.

Spices and Condiments: History, scope and importance, area and production, uses, export potential and role in national economy, classification, soil and climate, seed, vegetative and micro propagation systems and methods of planting, nutrient management, irrigation practices, weed control, mulching and cover cropping, training and pruning practices, role of growth regulators, shade crops and shade regulation, harvesting, post-harvest technology, packaging, storage, value added products, methods of extraction of essential oil and oleoresins, economics of crops viz. cardamom, pepper, ginger, turmeric, clove, nutmeg, cinnamon, all spice, curry leaf, coriander, fenugreek, fennel, cumin, dill, celery, bishops weed, saffron, vanilla, thyme and rosemary.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-IV

Floriculture: Scope and importance of floriculture industry, classification of flowers and ornamental plants, detailed study of area, production and export potential, varieties, climate and soil requirements, seed rate, preparation of field, nursery practices; transplanting of flower crops and planting for directly sown/transplanted flower crops, spacing, planting technique, water and weed management, nutrient management and deficiencies, use of chemicals and growth regulators, harvesting; yield and seed production, important insect pests and diseases and their control measures, post-harvest technology. harvesting stages, harvesting methods, grading, packaging, storage and marketing of flowering plants like rose, marigold, chrysanthemum, orchid, carnation, gladiolus, Jasmine, dahlia, tuberose, bird of paradise, china aster and gerbera (under open and protected conditions), dehydration technique for drying of flowers, production techniques for bulbous.

Ornamental Gardening & Landscaping: History, types and styles of gardens and gardens in India. landscaping, basic principles, garden components and adornments; identification and use of landscape drafting equipments; layout of different types of gardens, designing of water garden, terrace garden, roof garden, rock garden, bog garden, sunken garden, terrariums; bioaesthetic planning, town and country planning, urban planning: landscaping of parks and public areas, educational institutions, Industrial areas, railway stations, dam sites, hydroelectric stations, river banks; Use of ornamental trees, shrubs, climbers and creepers, indoor plants, herbaceous perennials, palms, ferns, grasses, cacti and succulents in landscaping: lawn making: Flower arrangement; Types and art of making bonsai.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-V

Propagation, Nursery Management, Protected Cultivation: Methods of propagation: advantages and disadvantages; Seed dormancy: scarification & stratification, internal and external factors; Nursery techniques, apomixes-mono-embryony, polyembryony, chimera & bud sport; Methods and techniques of cutting, layering, grafting and budding. Physiological and bio-chemical basis of rooting factors influencing rooting in cuttings and layering: Graft incompatibility, Anatomical studies of bud union, selection and maintenance of mother trees, collection of scion wood stick, scion-stock relationship and their influences; Bud wood certification; Techniques of propagation through specialized organs, corm, runners, suckers, rhizomes; Micrografting, hardening of plants in nurseries; Insect-pest and disease control in nursery, Nursery registration, methodology and certification; Designs of mist chamber, humidifiers, greenhouses, glasshouses,

cold frames, hot beds, shade nets, poly-houses, lath house, conservatories; Land preparation and soil treatment, fertigation and irrigation management and cost of production.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement with these topics.

UNIT-VI

Post Harvest Management: Principles and methods of post harvest management, pre-harvest factors, affecting quality, factors responsible for deterioration of horticultural produce, physiological and bio- chemical changes, different systems of storage, packaging methods and types of packages, classification of preservatives, food colours. Methods of preparation of juices, squashes, syrups, cordials and fermented beverages, jam, jelly, marmalade, pickles, chutneys and sauces, quality control of processed products, Govt policy on import and export of processed fruits, food laws; modes of transport; Food and its function, Balanced diet: RDA for various age groups: Materials, tools and implements used in horticulture.

Current general Knowledge and Current Scientific Advancement wit

परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

.....सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसील नगर जिला

.....उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह

जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों

के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1

के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना

संख्या-22 / 16 / 92-का-2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित

से आच्छादित नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्रामतहसील नगर

..... जिलामें सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / सिटी
मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

..... सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री

निवासी ग्राम तहसील नगर जिला

..... उत्तराखण्ड कीजाति के व्यक्ति है, जिसे

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)

संविधान (अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी

है, के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी

तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील

नगरजिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट /
उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या- 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी

ग्रामतहसील नगर

..... जिलाउत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से
विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)
अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त
अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – तारीख

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु..... लिंग.....
पहचान चिन्ह..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टोंगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी-बधिर
(ii) पी डी - ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।
हाँ/नहीं
- (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हाँ/नहीं
- (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (viii) डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

डा0.....)

.....)

सदस्य

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

चिकित्सा

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64 / XXXVI (3) / 2019 / 19(1) / 2019 दि: 07 मार्च, 2019 के अधीन)

अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्तारक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट-04

कृषि/उद्यान विभाग/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग') परीक्षा-2023 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र० सं०	श्रेणी/उपश्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%
3.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सम्बन्धित उपश्रेणी	40%
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%

नोट :: सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के क्रम में प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-05

कृषि/उद्यान विभाग/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग') परीक्षा-2023
के अन्तर्गत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा केन्द्रों/जनपदों की सूची-

Sl. No.	Exam Center/ District	Exam Center/ District Code
01	Almora	01
02	Bageshwar	02
03	Champawat	03
04	Chamoli	04
05	Dehradun	05
06	Haridwar	06
07	Nainital	07
08	New Tehri	08
09	Pithoragarh	09
10	Pauri Garhwal	10
11	Rudraprayag	11
12	Udham Singh Nagar	12
13	Uttarkashi	13

नोट:-

आयोग, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित जनपदों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपद में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

-

परिशिष्ट-06

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-1** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के

अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

7. जिन परीक्षाओं में कैलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को **talking calculator** की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (**trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.**) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट-06 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs (name of the candidate with disability), a person with (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o, a resident of(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट-06 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है-

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/
Psychiatrist/ Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-7(2)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

परिशिष्ट-07 (I)

Appendix-07 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of

..... (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-07 (II)

Appendix-07 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing _____ Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट-08

Appendix-08

कृषि/उद्यान/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के सापेक्ष
अभिलेख सत्यापन हेतु चैक लिस्ट (Check List)

पदनाम व पदकोड-.....

अनुक्रमांक :

क्र० सं०	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाणपत्र	संलग्नक है अथवा नहीं (यदि है तो बाक्स में टिक ✓ करें)
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
2.	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र सं०-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्णरूप से भरा हुआ।	
3.	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र सं०-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्णरूप से भरा हुआ।	
4.	देशना पत्रक (प्रपत्र सं०-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्णरूप से भरा हुआ।	
5.	हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।	
6.	इण्टरमीडिएट अंक-तालिका एवं प्रमाण-पत्र।	
7.	अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संबंधी स्नातक अंकतालिका व उपाधि।	
8.	अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संबंधी परास्नातक अंकतालिका व उपाधि।	
9.	अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अनुभव प्रमाण-पत्र।	
10.	अधिमानी अर्हता के सापेक्ष प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)- (a) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष सेवा की हो, या (b) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	
11.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0 /ओ0बी0सी0 /ई0डब्ल्यू0एस0)**(यदि लागू हो)	
12.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक /दिव्यांग/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)(यदि लागू हो)	
13.	स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र।	
14.	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।	

15.	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या—A-2/DR(AAO)/S-1/2023-24 दिनांक सितम्बर, 2023 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड—पे 2000) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड—पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
16.	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति।	
17.	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में स्वघोषणापत्र मूलरूप में।	
18.	विज्ञापन के बिन्दु सं0-08 में अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण—पत्र/अभिलेख—	
	1. Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from any recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes?	
19.	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा—आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि मूलरूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
20.	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....)

(अभ्यर्थी का नाम.....)

परिशिष्ट-9

(चारा सहायक ग्रुप-2 के पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु)
फार्म प्रबन्धन में 03 वर्ष के अनुभव के साथ बी0एससी0(कृषि) हेतु प्रमाण-पत्र

प्रारूप

कार्यालय का प्रतीक
(यदि उपलब्ध हो)

विभाग/फार्म प्रबन्धन/कार्यालय का नाम :

विभाग/फार्म प्रबन्धन/कार्यालय का पता:

राज्य/फॉर्म प्रबन्धन/विश्वविद्यालय/कॉलेज के पंजीकरण का दिनांक :

दूरभाष संख्या :

वेबसाइट :

सन्दर्भ संख्या :-

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 पुत्र/पुत्री/पति श्री इस राज्य/केन्द्र फार्म प्रबन्धन/विश्वविद्यालय/कॉलेज के कर्मचारी है। श्री/श्रीमती/कु0 की शैक्षिक योग्यता बी0एससी0 (कृषि) है तथा उनके द्वारा की गई सेवा का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद का नाम	से dd/mm/yy	तक dd/mm/yy	कुल अवधि dd/mm/yy	नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी-नियमित/अस्थायी/अंशकालिक/संविदा/आतिथि फैंकल्टी/दैनिक भोगी/मानदेय आधारित आदि)	अनुभव की प्रकृति विशेषता/फार्म प्रबन्धन का क्षेत्र/तकनीकी/प्रशासन/अकादमी या अन्य कोई अनुभव	वेतनमान एवं अन्तिम आहरित वेतन	कर्तव्य निर्वहन/प्रत्येक पद का संक्षिप्त अनुभव (कृपया विवरण दें, यदि आवश्यकता हो, संलग्न शीट में)	नियुक्ति का स्थान	अन्य
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाये सभी तथ्य राज्य/फॉर्म प्रबन्धन/विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध के अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं सही हैं।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम शब्दों में)

